_प्रेस नोट_ **_27/02/2025_**

30 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 03 अभियुक्ता गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.02.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर हयातसेण्टर मुंशीपुरा के पास से 03 अभियुक्ता चैन देवी पत्नी बुघन खरवार निवासी काडाडीह विक्रमगंज जनपद रोहतास बिहार, रेनू कुमारी पत्नी काशी खरवार, सनम देवी पत्नी अनिल खरवार निवासी टिपुरा कॉलानी जनपद भोजपुर बिहार के कब्जे से 30 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 67/25,68/25,69/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को 20 वर्ष की कठोर कारावास व ₹85,000 के अर्थदंड से हुया दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय पॉक्सो कोर्ट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 27-02-2025 को मु0अ0सं0 172/2017 धारा 363,366,376,504,506 भादवि0 व 5/6 पॉक्सो एक्ट थाना कोपागंज में दोषसिद्ध अभियुक्त अजय चौहान पुत्र बालचंद्र चौहान छीकला थाना कोपागंज जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा एवं ₹85,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री रामचन्द्र चौहान, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री नवल किशोर सिंह, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी जयन्त तिवारी थाना कोपागंज का सराहनीय योगदान रहा।